7

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, पर दिनांक 11-11-1983 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1983 की सप्तम बैठक का कार्य-वृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

(1)	श्री बी0जे0ओदावजी		अध्यक्ष
(2)	श्री मीर मज़हर अली		सदस्य
(3)	श्री नौनिहाल सिं-ह		सदस्य
(4)	श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(5)	श्रीमती मंजुलिका गौतम	विशेष सचिव, आवास (आवास सचिव की प्रतिनिधि)	सदस्या
(6)	श्री प्रेम नारायण	संयुक्त सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि	सदस्य
(7)	श्री शिव कुमार शर्मा	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य
(8)	श्री शम्भूनाथ	प्रशासक, नगर महापालिका	सदस्य
(9)	श्री श्याम सूरी	आवास आयुक्त	सदस्य

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:-

क्रमांक	विषय	संकल्प	निर्णय
1	2	3	4
1-	दिनांक 17-9-83 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	सप्तम/(1)/83	परिषद की दिनांक 17-9-83 को हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि निम्न संशोधन के साथ की गयी:- मद सं0-2 के क्रमांक-5 में तीसरी पंक्ति में ''कालोनीज'' के स्थान पर ''कालोनी'' लिख दिया जाये। इसी क्रम में 15वीं पंक्ति में ''निवहन'' के स्थान पर ''निर्वहन'' शब्द लिख दिया जाये।
2-	परिषद की बैठक दि0 17-9-83 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।	सप्तम/(2)/83	परिषद व्दारा दिनांक 17-9-83 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आख्या की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1- कानपुर की इकाई के लिये विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के सृजित पद पर शीघ्र नियुक्ति करायी जाये। 2- मुरादाबाद एवं अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों व्दारा परिषद के आवास गृहों पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण के सम्बन्ध में मुख्य सचिव के स्तर पर प्रस्तावित बैठक शीघ्र कराकर समस्या का निराकरण कराया जाये। 3- परिषद की इन्दिरा नगर योजनान्तर्गत 80 मध्यम आय वर्ग एम0ए0/75 प्रकार के भवनों के प्राविधिक परीक्षण के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता के स्तर पर लम्बित कार्यवाही शीघ्र कराकर उनकी आख्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

1	2	3	4
			4- परिषद व्दारा निर्मित कालोनीज़ को स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक कालोनी से सम्बन्धित विस्तृत तथ्यात्मक टिप्पणी तैयार कराकर अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जाये ताकि वे अग्रिम कार्यवाही कर सकें। 5- परिषद के वर्ष-1976-77 तथा 77-78 के धन विनियोजन सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध न होने के बारे में अब तक की गयी कार्यवाही की समीक्षा की गयी तथा निर्णय लिया गया कि इस संबंध में छानबीन की कार्यवाही शीघ्रता से संपन्न कर वस्तुस्थिति से परिषद की अगली बैठक में अवगत कराया जाये। 6- रानीखेत में परिषद की योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त सेन्ट्रल कमान्ड के उच्चाधिकारियों तथा कैन्टोनमेन्ट बोर्ड के अध्यक्ष से संपर्क कर कैन्टोनमेंट बोर्ड के क्षेत्र के भीतर भूमि प्राप्त करने का प्रयास करें। 7- विभागीय निर्माण इकाईयों को कार्यखण्डों में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में परिषद व्दारा गठित समिति में प्रबन्ध निदेशक, जल निगम को भी सम्मिलित कर लिया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि इस उप समिति के संयोजक मुख्य अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद होंगे।
3- बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के संबंध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार।		सप्तम/(3)/83	बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की आख्या पर विचार विमर्श हुआ और निम्नलिखित निर्णय लिये गये:- 1- वर्ष-1983-84 के निर्धारित भूमि अर्जन के लक्ष्य के सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति की जानकारी परिषद को करायी गयी। परिषद को यह भी बताया गया कि गत एक वर्ष से विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों के कुछ पद रिक्त थे। निर्णय लिया गया कि नयी योजनाओं के लिये भूमि का कब्जा प्राप्त करने के साथ-साथ कब्जा प्राप्त भूमि के अभिनिर्णय तैयार कराने एवं प्राथमिकता के आधार पर प्रतिकर बंटवाने का कार्य भी कराया जाये ताकि अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण एवं विकास का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा सके। 2- बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष-1983-84 में 802·94 एकड़ भूमि पर विकास कार्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरुद्ध 56 एकड़ भूमि पर विकास कार्य पूर्ण हो सका तथा 1191.06 एकड़ भूमि पर विकास कार्य प्रगति पर है। निर्णय लिया गया कि परिषद व्दारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु हर संभव प्रयास किया जाये यह भी बताया गया कि प्रगति का अनुश्रवण मुख्य अभियन्ता तथा आवास आयुक्त के स्तर से समय समय पर किया जा रहा है। 3- बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1983-84 में 10500 दुर्बल आय वर्ग/साइट एण्ड सर्विसेज के निर्माण का कार्य कराया जाना था जिसके विरुद्ध सितम्बर-1983 तक 443 भवन पूर्ण किये गये हैं और 1086 भवनों का निर्माण प्रगति पर बताये गये। इस संदर्भ में आ रही कठिनाईयों पर विस्तार से चर्चा हुई। भूमि अध्याप्ति से सम्बन्धित कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 10500 भवन/साईट एण्ड सर्विसेज के स्थान पर

1	2	3	4

8500 भवन/साईट एण्ड सर्विसेज़ के पूर्ण करने का पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारित किया गया।

4-अन्य भवनों के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों को निम्नवत् पुनरीक्षित किया गया:-

क्र0सं0	भवनों की श्रेणी	परिषद व्दारा निर्धारित लक्ष्य	पुनरीक्षित लक्ष्य पूर्ण/प्रगति में		योग
1-	उच्च आय वर्ग	400	260	140	400
2-	मध्यम आय वर्ग	1200	700	350	1050
3-	अल्प आय वर्ग	2500	1170	480	1650
4-	अन्य भवन	800	500	100	600

5-वित्तीय वर्ष-1975-76 तथा 1976-77 के पक्के चिट्ठे जिनका रूपान्तर हिन्दी में किया जा चुका है उसे छपवाकर यथा संभव 30 नवम्बर, 1083 तक विधान मण्डल के पटल पर प्रस्तुत करने हेतु शासन को भेज दिया जाये।

6-परिषद के समक्ष 1977-78 से 1982-83 तक की बैलेन्सशीट को अन्तिम रूप देने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार 15 दिसम्बर-1984 तक 1982-83 की बैलेन्सशीट तैयार हो जायेगी। निर्णय लिया गया कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

7-नगरवार आवंटित संपत्ति के मार्च-1982 तक मूलधन एवं व्याज की गणना का विवरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत सूचना के अनुसार लखनऊ नगर की 11907 सम्पत्तियों तथा बरेली नगर में 140 सम्पत्तियों को छोड़कर शेष सभी नगरों में आवंटित सम्पत्तियों के मार्च-1982 के मूलधन एवं व्याज की गणना की जा चुकी है। निर्णय लिया गया कि लखनऊ तथा बरेली नगरों के लिये यह कार्य 31 जनवरी-1984 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाय। वित्तीय वर्ष-1983-84 के संबंध में वरिष्ठ लेखाधिकारी को वांछित सूचना संपत्ति प्रबन्धअधिकारियों के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई है। निर्णय लिया गया कि इस सूचना को प्राप्त करने के लिये आवास आयुक्त के स्तर से पत्र भिजवाया जाये और साथ ही ज्येष्ठ लेखाधिकारी संपत्ति प्रबन्ध कार्यालयों का निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करें कि मूलधन एवं व्याज की गणना के संबंध में संपत्ति प्रबन्ध अधिकारियों को यदि कोई कठिनाई हो तो उसका निवारण करें।

8-लेखा मेनुअल तैयार करने हेतु शीघ्र ही निर्णय लेने हेतु कार्यवाही सम्पादित की जाये।

9-यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में परिषद की प्रत्येक बैठक में वृक्षारोपण के अन्तर्गत किये गये कार्यों का कालोनीवार विवरण प्रस्तुत किया जाये।

10-यह भी निर्णय लिया गया कि पंजीकरण/प्रदेशन सम्बन्धी विनियम-1979 में जो संशोधन एवं सम्बर्द्धन अद्यावधिक किये गये हैं उनको सम्मिलित करते हुये विनियम की नई प्रतियां छपवाली जाये जो आम जनता को निर्धारित शुल्क देने पर उपलब्ध हों।

1	2	3	4
4-	बिलग्राम रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, हरदोई (क्षेत्रफल 4·72 एकड़ अनुमानित लागत 9·39 लाख रुपया)	सप्तम/(4)/83	परिषद व्दारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
5-	मेरठ-रुड़की मार्ग एवं सरकुलर रोड के मध्य भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3, मुजफ्फरनगर (क्षेत्रफल 103·07 एकड़ अनुमानित लागत 149·188 लाख)	सप्तम/(5)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
6-	हापुड़-गाज़ियाबाद मार्ग पर बाज़ार योजना (योजना सं0-3) हापुड़ (क्षेत्रफल 12·03 एकड़ एवं अनुमानित लागत 23·94 लाख)	सप्तम/(6)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
7-	एटा कैम्पिंग ग्राउन्ड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 एटा (क्षेत्रफल 30·14 एकड़ तथा अनुमानित लागत रु0 86·688 लाख)	सप्तम/7)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पड़ाव की भूमि भारत सरकार के रक्षा विभाग से हस्तान्तरित करायी जाये ताकि उस पर परिषद की योजना चलायी जा सके।
8-	अयोध्या मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना फैज़ाबाद।	सप्तम/8)/83	परिषद ने विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
9-	हापुड़-मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान एवं बाज़ार योजना सं0-2 मोदीनगर की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	सप्तम/(9)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
10-	देहरादून में सहारनपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, देहरादून की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	सप्तम/(10)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
11-	अमरोहा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	सप्तम/(11)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
12-	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 अमरोहा की धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	सप्तम/(12)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
13-	रुस्तमपुर-तिलारीपुर योजना गोरखपुर में परिषद फण्ड से 44 दु0आ0व0केहल्न0-4/79/I प्रकार के भवनों का निर्माण।	सप्तम/(13)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
14-	हडको वित्त पोषित व्दितीय हडको कम्पोजिट प्रोजेक्ट इज्जतनगर बरेली स्कीम नं0-2679	सप्तम/(14)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
15-	इन्दिरानगर योजना लखनऊ के अन्तर्गत स्व0श्री ओ0पी0शर्मा को प्रदिष्ट उ0आ0व0भवन के निरस्तीकरण में ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	सप्तम/(15)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
16-	काशीपुर में योजना सं0-2, काशपीपु काशीपुर की धारा-28 हेतु प्रस्ताव व प्राक्कलन।	सप्तम/(16)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि जल सम्पूर्ति की व्यवस्था के सम्बन्ध में कुमाऊ जल संस्थान से संपर्क कर उनकी सहमति पहले से ही प्राप्त कर ली जाये।
17-	प्रदेशन के उपरान्त अवशेष रिक्त सम्पत्ति के प्रदेशन प्रक्रिया का निर्धारण।	सप्तम/(P7)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
18-	विनियम 16(5) में संशोधन के सम्बन्ध में।	सप्तम/(18)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि पूर्व में दी गयी बयाना धनराशि का समायोजन करते हुये जो अतिरिक्त बयाना धनराशि प्रार्थना पत्र की तिथि को देय हो वही धनराशि ऐसे व्यक्तियों से ली जाये। इसका उल्लेख प्रस्तावित संशोधन में कर लिया जाये।
19-	इज्जतनगर योजना सं0-2 सेक्टर-3 एवं 4 बरेली में परिषद फण्ड से 45 दु0आ0 व के हल्न0 3/79 प्रकार के भवनों का निर्माण।	सप्तम/(19)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
20-	परिषद की इन्दिरानगर आवास योजना लखनऊ के अन्तर्गत श्रीमती सुशीला देवी विशापित को भूखण्ड प्रदेशन के सम्बन्ध में।	सप्तम/(20)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
21-	पंजीकरण/प्रदेश/विनियमावली में उल्लिखित स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की परिभाषा में संशोधन।	सप्तम/(21)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
22-	आवास परिषद की मेरठ योजना सं0-7(क्षेत्रफल-450 एकड़ अनुमानित लागत 310. 38 लाख से संबंधित जेदीनगर सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड मेरठ के संबंध में	सप्तम/(22)/83	परिषद व्दारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जेदीनगर सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि के प्रतिकर निर्धारण एव वितरण की स्थिति ज्ञात कर ली जाये और शासन को भूमि के मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में संदर्भ भिजवाया जाये जिसमें शासन से अनुरोध किया जाय कि अगस्त 17, 1983 को निर्गत शासनादेश को इस प्रकार संशोधित करदें कि जेदीनगर सहकारी समिति को परिषद व्दारा अधिग्रहीत भूमि का मूल्य भी देना होगा।

1	2	3	4
23-	परिषद के अधिकारियों/ कर्मचारियों को वाहन भत्ते की स्वीकृति के अधिकारों का प्रतिदान।	सप्तम/(23)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
24-	इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर-26 19 व 20 में दु०आ०व० 196) (15/40 प्रकार) (15/40 प्रकार) एवं 63(हल्व०-1/75 प्रकार) भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।	सप्तम/(24)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
25-	कुर्सी रोड योजना, लखनऊ के सेक्टर-5 में प्रस्तावित दु०बल आय वर्ग 15/40 प्रकार के 136 भवनों का निर्माण।	सप्तम/(25)/83	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
26-	कानपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-3 कानपुर में अमापुर स्टेट की भूमि के सम्बन्ध में।	सप्तम/(26)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि इस संदर्भ में विस्तृत छानबीन की जाये कि किसी गलती से रक्षा मंत्रालय की आर्डिनेन्स फैक्ट्री की भूमि पर प्रश्नगत आवासों का निर्माण कराया गया।
27-	सीतापुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-2, शाहपुर के धारा-28 हेतु प्रस्ताव एवं प्राक्कलन।	सप्तम/(27)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
28-	श्री आर०सी०सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता (निलम्बित), के विरुद्ध लम्बित दो विभागीय जाँच की कार्यवाही में जाँच अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में।	सप्तम/(28)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्री आर०सी०सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता (निलम्बित) के विरुद्ध लम्बित दो विभागीय जाँच की कार्यवाही में जाँच अधिकारी का कार्य उप आवास आयुक्त एवं सचिव करेंगे।
29-	कुर्सी रोड योजना लखनऊ के सेक्टर-4 एवं 6 में दु०आ०व० के 15/40 प्रकार के क्रमशः 239 एवं 86 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।	सप्तम/(29)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
30-	मूल्यांकन अनुभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता/संगणक को विशेष तकनीकी भत्ता स्वीकृत किया जाना।	सप्तम/(30)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
31-	एटा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-2 एटा (क्षेत्रफल 50 एकड़ अनुमानित लागत रु० 64.401)	सप्तम/(31)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से नियोजन समिति की संस्तुति स्वीकृत करते हुये यह निर्णय लिया गया कि खसरा सं० 739 को अर्जन से मुक्त कर दिया जाये।
32-	परिषद मुख्यालय अधिकारियों के प्रयोग हेतु एक डीजल जीप/ट्रेकर क्रय करने के संबंध में।	सप्तम/(32)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
33-	परिषद योजनाओं तथा योजनाओं के प्रमुख मार्गों का नामांकन तथा भवनों के नम्बरिंग के संबंध में।	सप्तम/(33)/83	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष, आवास एवं विकास परिषद की

1	2	3	4
			अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाय जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:- 1-श्री मीर अमज़हर अली — सदस्य 2-श्री नौनिहाल सिंह — सदस्य 3-श्री रामपाल सिंह — सदस्य 4-श्रीमती दीपा कौल — सदस्या 5-श्री माता प्रसाद — सदस्य 6-श्री श्याम पुरी — आवास आयुक् 7-श्री जे0पी0दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक। उक्त समिति परिषद योजनाओं के नामांकन के संदर्भ में विचार कर अपना प्रस्ताव परिषद की बैठक मेंप्रस्तुत करेगी। योजनाओं के प्रमुख मार्गों का नामांकन आवास आयुक्त अपने स्तर पर कर लेंगे।
34-	परिषद में कार्यरत सिविल/विद्युत अभियन्ताओं को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रदत्त करने के सम्बन्ध में।	सप्तम/(34)/83	परिषद व्दारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस विषय पर विस्तृत प्रस्ताव परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये। परिषद योजनाओं में विद्युतीकरण का कार्य सम्पादित करने में विलम्ब न हो इसके लिये परिषद में कार्यरत विद्युत अभियन्ताओं को वही वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रदत्त किये जाये जो परिषद के सिविल अभियन्ताओं को प्राप्त है।

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी।

पुष्टि की गयी

[signature]

अध्यक्ष